



साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995
GENERAL INSURANCE (EMPLOYEES') PENSION SCHEME, 1995

पारिवारिक और बाल पेंशनर द्वारा पेंशनजीवन प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए
To be submitted along with Life Certificate by Family & Child Pensioners

अविवाहित*/पुनर्विवाह का प्रमाणपत्र**
Certificate of Non-marriage*/ Re-marriage**

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं अविवाहित / पुनर्विवाहित हूँ. / I hereby declare that I am not married / re-married.

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं साधारण बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन निधि को ऐसी घटना की रिपोर्ट देने का वचन देता हूँ. / I hereby declare that I undertake to report such an event to the General Insurance Corporation (Employees') Pension Fund.

स्थान /Place: _____

हस्ताक्षर / बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
Signature/Left Hand Thumb Impression

दिनांक /Date: _____

पेंशनर का नाम / Name of the Pensioner: _____

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है.

I certify that the above declaration is correct to the best of my knowledge and belief.

• गवाह का हस्ताक्षर/Witness Signature: _____

नाम /Name: _____

पदनाम /Designation: _____

दिनांक /Date: _____

स्थान /Place: _____

• नोट/Note

यह प्रमाणपत्र उस कंपनी के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसमें पेंशनर सेवानिवृत्त हुए हैं या राजपत्रित अधिकारी उनके कार्यालय के सील सहित या बैंक अधिकारी के सील सहित जहाँ पेंशनरका खाता है या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के मामले में उनका पंजीकरण नं. अतिआवश्यक है। यदि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर विदेश में रहते हैं तो इसे भारतीय वाणिज्य दूतावास / दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

This certificate should be signed by a Class I Officer of the Company from which the Pensioner retired or a Gazetted Officer under the seal of his / her office or an officer of any bank where an account is maintained by pensioner along with seal or a Registered Medical Practitioner. In case of Registered Medical Practitioner his / her registration number is a must. In case pensioner or family pensioner residing abroad it should be attested by Indian Consulate/ Embassy.

*कर्मचारी की कन्या के मामले में लागू /Applicable in the case of daughter of employee.

** कर्मचारी की पत्नी/ पति के मामले में लागू /Applicable in the case of wife/husband of the employee.